

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2021/4805

दिनांक 17/12/2021

//कार्यालयीन आदेश //

“अत्यावश्यक”

म.प्र. में दिनांक 06.01.2022 को पंचायत चुनाव का निर्वाचन सम्पन्न होना है वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के कारण विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक /निर्देशक/अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विभाग में किसी भी कार्यक्रम का संपादन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करें एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करना सुनिश्चित करें। बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यक्रम संपादन करने की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप/सहा० कुलसचिव(प्रशा०), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. विश्वविद्यालयीन वेबसाईट पर प्रसारित हेतु।


उप/सहा० कुलसचिव(प्रशा०)